न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 6ए / 19 / 2009(20 / 2012)

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

......**प्रार्थी**

बनाम

श्री कैलाशचंद पुत्र चंदालाल जाति वैश्य निवासी पुरानी सब्जी मंडी बयाना हाल प्रोपराइटर मै0 सिंघल ट्रेडिंग कम्पनी,बयाना जिला भरतपुर ।

......**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र धारा 6 ए, ई.सी.एक्ट बावत जब्त शुदा चीनी ,बूरा व दाल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए, सपठित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के अन्तर्गत राजसात करने ।

निर्णय **दिनांक 11.03.2020**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, ई.सी.एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 10.09.2009 को मै0 सिंघल ट्रेडिंग कम्पनी सब्जी मण्डी बयाना का निरीक्षण किया गया । फर्म को राजस्थान व्यापारित वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश,1980 के तहत थोक व्यापार हेतु अनुज्ञापत्र सं0 263 / 2009 जारी है,जो दिनांक 31.03.2010 तक वैध है एवं इसमें चीनी अंकित है परन्तु दाल दलहन अंकित नहीं है । फर्म के लाइसेंस में व्यापार स्थल व गोदाम स्वयं की जायदाद अंकित है । दौराने निरीक्षण फर्म के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 10.09.2009 का आरम्भिक स्टॉक चीनी 425 क्विण्टल, बूरा 31.50 क्विण्टल एवं चना दाल 30 क्विण्टल अंकित होना पाई । भौतिक सत्यापन के दौरान फर्म के व्यापार स्थल पर चीनी 111 बोरी बजनी 111 क्विण्टल,बूरा 24 कट्टे बजनी 12 क्विण्टल , चना दाल 57 कट्टे बजनी 28.50 क्विण्टल कल्याण कॉलोनी बैंक ऑफ बड़ोदा के पास स्थित गोदाम में 167 क्विण्टल तथा सब्जी मण्डी रोड़ पर स्थित श्री मुन्नालाल दमदमा पुत्र मिश्री लाल वैश्य निवासी बयाना की दुकान में 147 बोरी चीनी बजनी 147 क्विण्टल, बूरा 37 कट्टे बजनी 18.50 क्विण्टल पाया गया । अनुज्ञापत्र में मुन्नालाल दमदमा पुत्र मिश्रीलाल वैश्य बयाना से लिया गया गोदाम अनुज्ञापत्र में अंकित नहीं है । फर्म द्वारा 147 क्विण्टल चीनी एवं 18.50 क्विण्टल बूरा का भण्डारण अवैध गोदाम में किया जाना पाया गया। इसके अलावा फर्म द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के 28.50 क्विण्टल चनादाल का भण्डारण किया गया है जो कि अवैध है । फर्म के व्यापार स्थल पर मूल्य सूची बोर्ड एवं स्टॉक

.............................2

प्रदर्शन करना नहीं पाया गया । फर्म का यह कृत्य राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 सपठित राजस्थान व्यापारिक(विशेष उपबंध) (द्वितीय संशोधन) आदेश 2009 के खण्ड 3 के तहत जारी अनुज्ञापन की शर्त संख्या 2 व उक्त आदेश के खण्ड 3,10,15 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन है । मौके पर 147 क्विण्टल चीनी मय वारदाना , 18.50 क्विण्टल बूरा एवं 28.50 क्विण्टल चना दाल को जब्त सरकार किया गया । परिस्थितियों एवं सुरक्षा की दृष्टि से जब्त शुदा सामग्री को श्री मणि कुमार पुत्र मदनमोहन अग्रवाल जाति वैश्य निवासी आर्य समाज रोड़ बयाना हाल प्रो0 दुर्गा मोबाइल आर्य समाज रोड़ बयाना की सुपुर्दगी में दिया गया । अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त जब्त सामग्री मय बारदाना को राजसात करने एवं प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की प्रार्थना की गई है ।

प्रकरण में उभय पक्ष को सुना जाकर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.07.2010 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 6 ए ई सी एक्ट स्वीकार किया जाकर मौके पर जब्त शुदा 147 क्विण्टल चीनी मय बारदाना , 18.50 क्विण्टल बूरा (चीनी उत्पाद) एवं 28.50 क्विण्टल चनादाल को राजसात किये जाने की आज्ञा दी गई।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 19.07.2010 से व्यथित होकर श्री कैलाशचंद पुत्र चंदालाल जाति वैश्य निवासी पुरानी सब्जी मंडी बयाना हाल प्रोपराइटर मै0 सिंघल ट्रेडिंग कम्पनी ने एक अपील माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, भरतपुर के न्यायालय में पेश की गई। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, भरतपुर ने (अपील संख्या 51/2012 उनवानी कैलाशचंद पुत्र चंदालाल जाति वैश्य निवासी पुरानी सब्जी मंडी बयाना हाल प्रोपराइटर मै0 सिंघल ट्रेडिंग कम्पनी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,भरतपुर को अपने निर्णय दिनांक 30.06.2012 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2010 को अपास्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई है कि उभयपक्ष को पुनः सुनकर नये सिरे से विधि अनुसार निर्णिय पारित किया जावे । माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को दिनांक 23.07.2012 को सुनवाई हेतु इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पावंद किया गया ।

पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई । पैरोकार रसद व अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित आए । पत्रावली बहस में नियत की गई । दिंनांक 03.03.2019 को बहस के दौरान अप्रार्थी के अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए । ऐसी स्थिति में पेरोकार रसद की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में कथन किया है कि पत्रावली माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2012 के साथ प्रति प्रेषित होकर श्रीमान न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए का कोई जबाव वगैराह पेश नहीं किया गया है । पैरोकार

..................3

रसद का कहना है कि अप्रार्थी या उसके अभिभाषक बहस हेतु नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए हैं ।पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया कि फर्म के पास राजस्थान व्यापारित वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश,1980 के तहत थोक व्यापार हेतु अनुज्ञापत्र सं0 263/2009 उपलब्ध मिला,जो दिनांक 31.03.2010 तक वैध था एवं इसमें चीनी अंकित थी ,परन्तु दाल दलहन अंकित नहीं था । फर्म के लाइसेंस में व्यापार स्थल व गोदाम स्वयं की जायदाद अंकित थी । दौराने निरीक्षण फर्म के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 10.09.2009 का आरम्भिक स्टॉक चीनी 425 क्विण्टल, बूरा 31.50 क्विण्टल एवं चना दाल 30 क्विण्टल अंकित होना पाई गई । भौतिक सत्यापन के दौरान फर्म के व्यापार स्थल पर चीनी 111 बोरी बजनी 111 क्विण्टल,बूरा 24 कट्टे बजनी 12 क्विण्टल , चना दाल 57 कट्टे बजनी 28.50 क्विण्टल कल्याण कॉलोनी बैंक ऑफ बड़ोदा के पास स्थित गोदाम में 167 क्विण्टल तथा सब्जी मण्डी रोड़ पर स्थितै श्री मुन्नालाल दमदमा पुत्र मिश्री लाल वैश्य निवासी बयाना की दुकान में 147 बोरी चीनी बजनी 147 क्विण्टल, बूरा 37 कट्टे बजनी 18.50 क्विण्टल पाया गया । अनुज्ञापत्र में मुन्नालाल दमदमा पुत्र मिश्रीलाल वैश्य बयाना से लिया गया गोदाम अनुज्ञापत्र में अंकित नहीं था । फर्म द्वारा 147 क्विण्टल चीनी एवं 18.50 क्विण्टल बूरा का भण्डारण अवैध गोदाम में किया जाना पाया गया। इसके अलावा फर्म द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के 28.50 क्विण्टल चनादाल का भण्डारण किया गया है जो कि अवैधहै । फर्म के व्यापार स्थल पर मूल्य सूची बोर्ड एवं स्टॉक प्रदर्शन करना नहीं पाया गया । फर्म का यह कृत्य राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 सपठित राजस्थान व्यापारिक(विशेष उपबंध) (द्वितीय संशोधन) आदेश 2009 के खण्ड 3 के तहत जारी अनुज्ञापन की शर्त संख्या 2 व उक्त आदेश के खण्ड 3,10,15 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन है । मौके पर 147 क्विण्टल चीनी मय वारदाना , 18.50 क्विण्टल बूरा एवं 28.50 क्विण्टल चना दाल को जब्त सरकार किया गया । अप्रार्थी ने नए गोदाम के अंकन के लिए प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बयाना के कार्यालय में पेश करना बताया । ई0ओ0 को एस0डी0ओ0 कार्यालय से कोई आदेश नहीं मिले थे । वक्त निरीक्षण अप्रार्थी ने अपने पास से निकाल कर कथित प्राथना पत्र दिखाया था । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कथित प्रार्थना पत्र को मार्क कराकर अपने पास रखना अप्रार्थी की सन्देहास्पद मंशा को जाहिर करता है ।अप्रार्थी ने स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज निरीक्षण दल के पहुंचते ही किये थे । मौके पर यह इन्द्राज पूर्व के होना बताया । पैरोकार रसद का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज को अध्यक्ष व्यापार मण्डल अथवा सक्षम अधिकारी से प्रामणित कराना चाहिए था । अप्रार्थी द्वारा व्यापार मूल्य सूची बोर्ड एवं स्टॉक प्रदर्शन भी नहीं किया हुआ था। अप्रार्थी का यह कृत्य प्रचलित नियमों के विरूद्ध है । अतः जब्त शुदा सामग्री को राजसात किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध नकूलात का

.......................4

गहनता से अध्ययन किया । अप्रार्थी या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आए हैं । अप्रार्थी या उनके अभिभषक द्वारा कोई लिखित कथन भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं । पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति दस्तावेजात का गौर किया । माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2012 के प्रति प्रेषित निर्देशों पर गौर किया गया । न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी को धारा 6बी ईसी एक्ट के तहत नोटिस दिया गया था जो अप्रार्थी कैलाशचन्द्र पर दिनांक 29.09.2009 को असालतन तामील शुदा शामिल मिसिल है और अप्रार्थी मय अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को पुनः धारा 6बी ईसी एक्ट का नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर आया कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2009 को जबाव प्रार्थना पत्र/सुपुर्दगी प्रस्तुत किया गया है जिसमें अप्रार्थी ने उल्लेख किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.09.2009 को नया गोदाम मय नक्शा एस0डी0ओ0 बयाना के यहां लाइसेंस में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । एस0डी0ओ0 द्वारा प्रार्थना पत्र पर ई0आई0 की रिपोर्ट के आदेश दिए गए । अप्रार्थी ने नए गोदाम का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में। उसी समय कर दिया था । वक्त निरीक्षण घोषित गोदाम में ही चीनी का स्टॉक किया हुआ था । प्रार्थी द्वारा जो कार्यवाही की गई है,वह अवैध व निराधार है । प्रार्थना पत्र में उनका यह भी कथन है कि चना दाल जो सीज की गई है वह भी गलत सीज की गई है । दाल दलहन का लाइसेंस दिनांक 03.09.2009 तक लेना था जबकि अप्रार्थी ने दिनांक 25.08.2009 को लाइसेंस में दाल दलहन का इन्द्राज करने हेतु आवेदन कर दिया था । दाल दलहन लाइसेंस लागू करने से पूर्व अप्रार्थी के दाल दलहन स्टॉक में चली आ रही थी । प्रार्थी का दायित्व केवल लिखित आवेदन पेश करने का था जो सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश कर दिया था । अप्रार्थी ने अन्त में कथन किया है कि सीजर चीनी व दाल चना केवल टैक्नीकल ग्राउण्ड पर किया है जबकि जरिये बिल खरीद की गई है व स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किये गए हैं । टैक्नीकल ग्राउण्ड पर सीजर अवैध है । जब तक कोई मैन्सरिया प्रमाणित नहीं हो तक जब्त राज की आज्ञा पारित नहीं की जा सकती । अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 6ए ई.सी.एक्ट.खारिज किया जाकर जब्त शुदा माल दिलाये जाने की प्रार्थना की है ।

दिनांक 10.09.2009 को प्रवर्तन स्टाफ द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी का लाइसेंस नम्बर 263/2009 मात्र चीनी के व्यापार के लिए ही जारी होना पाया गया। अप्रार्थी के गोदाम में मिली 28.50 क्विण्टल चना दाल का मिलना जाहिर करता है कि अप्रार्थी द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के दाल दलहन का व्यापार किया जा रहा था । अप्रार्थी का यह कथन कि सरकार द्वारा दलहन के नियम बनाये जाने से पूर्व से उसके दाल रखी हुई थी और अप्रार्थी द्वारा लाइसेंस में दलहन दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ था, मानने योग्य नहीं, क्योंकि दलहन व्यापार कें लिए सक्षम अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है । जैसे ही

......................5

दलहन के नियम जारी हुए अप्रार्थी को 15 दिवस में अपना दलहन लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए था । इस प्रकार अप्रार्थी का दलहन व्यापार व भण्डारण बिना अनुज्ञापत्र के ही किया जाना पाया गया जो नियमों के विपरीत है । इसके अलावा लाइसेंस में अंकित गोदाम के अलावा भी मुन्नालाल दमदमा वालों से किराये पर लिया गया एक अवैध गोदाम भी वक्त निरीक्षण पाया गया । उक्त गोदाम का अनुज्ञापत्र में अंकन नहीं होना पाया गया । उक्त अवैध गोदाम से 147 क्विण्टल चीनी एवं 18.50 क्विण्टल बूरा का भी अवैध भण्डारण अप्रार्थी द्वारा किया जाना पाया गया । इस सम्बन्ध में अप्रार्थी का यह कथन कि उक्त कथित गोदाम को अनुज्ञापत्र में दर्ज करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी बयाना को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। एस0डी0ओ0 द्वारा प्रार्थना पत्र पर ई0आई0 की रिपोर्ट के आदेश दिए गए। वह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी ने वक्त जांच निरीक्षकर्ता को प्रस्तुत किया गया । इससे पूर्णतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा कथित प्रार्थना पत्र जो कि एस0डी0ओ0 कार्यालय बयाना में होना चाहिए था उसे अप्रार्थी ने मार्क कराकर बिना कार्यवाही कराये अपने पास रख लिया । अप्रार्थी का यह कृत्य इस बात को जाहिर करता है कि वह उक्त प्रार्थना पत्र का अनुचित प्रयोग कर कथित अवैध गोदाम को बिना अनुज्ञापत्र में दर्ज कराये बूरा,चीनी व दलहन के अवैध भण्डारण के काम में लेता रहे।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी बिना अनुज्ञापत्र दलहन के अवैध व्यापार/भण्डारण करने एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये अवैध गोदाम में कालाबाजारी की नीयत से अवैध भण्डारण करने का दोषी है । अप्रार्थी द्वारा अपने कारोबार परिसर में मूल्य सूची बोर्ड व उपलब्ध स्टॉक का प्रदर्शन भी किया जाना नहीं पाया गया । अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 सपठित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (विशेष उपबंध)(द्वितीय संशोधन) आदेश 2009 व राजस्थान व्यापारिक वस्तु(विशेषउपबंध)(तृतीय संशोधन) आदेश 2009 के खण्ड 3 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2 व उक्त आदेश के खण्ड 3,10,15 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः जब्त शुदा 147 क्विण्टल चीनी मय बारदाना, 18.50 क्विण्टल बूरा (चीनी उत्पाद) एवं 28.50 क्विण्टल चना दाल को राजसात (Confiscate) किया जाता है । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:51:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: